न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः— रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— /2022

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

उम्मेदाराम पुत्र श्री चुतराराम
जाति भील, निवासी प्रतापनगर, ओसियां
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

तहसीलदार, ओसियां

प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णयः:—

दिनांकः—12/3/22

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील ओसियां के ग्राम ओसियां की सरहद में खसरा नम्बर 1588/67 रकबा 0.1619 हैक्टेयर की आई हुई है। वर्तमान में ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज करते वक्त भूलवश प्रार्थी का नाम उम्मेदाराम पुत्र चुनाराम दर्ज कर दिया जो सरासर गलत है प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम चुतराराम है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी के पिता का नाम चुतराराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई जो सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम को शुद्ध दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि तहसील ओसियां के ग्राम ओसियां की सरहद में खसरा नम्बर 1588/67 रकबा 0.1619 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम उम्मेदाराम पुत्र चुनाराम के स्थान सही नाम उम्मेदाराम

सहायक कलेक्टर, ओसियां

पुत्र चुतराराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो रखा है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील ओसियां के ग्राम ओसियां की सरहद में खसरा नम्बर 1588/67 रकबा 0.1619 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का दर्ज नाम उम्मेदाराम पुत्र चुनाराम के स्थान पर सही नाम उम्मेदाराम पुत्र श्री चुतराराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 14/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner